The Dialogue™
INFORM ENGAGE IDEATE

व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा विधेयक, 2019 का सार

डेटा सुरक्षा प्राधिकरण

परिचय

भारत का पहला डेटा नियामक प्राधिकरण (डेटा सुरक्षा प्राधिकरण) व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा विधेयक, 2019 का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो भारत में डेटा सुरक्षा के लिए एक कानूनी ढांचा तैयार करता है। यह ढांचा डेटा सुरक्षा के बुनियादी अंतरराष्ट्रीय सिद्धांतों को कायम रखते हुए एक व्यक्ति के निजता के अधिकार (सूचना सम्बंधित गोपनीयता) की रक्षा करता है। साथ ही यह एक ऐसे तंत्र की स्थापना करता है जो यह नियंत्रित करता है कि संस्थाएं (निजी और सार्वजनिक) व्यक्तिगत डेटा कैसे एकत्रित और उपयोग करती हैं। इस ढांचे का एक महत्वपूर्ण पहलू व्यक्तियों की रक्षा करना और उनके अधिकार का उल्लंघन होने और उन्हें नुकसान होने की स्थिति में उन्हें एक आश्रय प्रदान करना है - यहाँ डेटा सुरक्षा प्राधिकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

यह विधेयक डेटा सुरक्षा प्राधिकरण स्थापित करने का प्रयास करता है। प्रस्तावित प्राधिकरण के कर्तव्य डेटा प्रधानों (नागरिको) के हितों की रक्षा करना, व्यक्तिगत डेटा के किसी भी दुरुपयोग को रोकना, अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना, और डेटा सुरक्षा के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना है। इस सन्दर्भ में, प्राधिकरण को विविध जिम्मेदारियों को निभाना होगा:

- न्यायिक निर्णय और शिकायत निवारण
- मानक स्थापना और नीति निर्माण
- संवेदनशील और महत्वपूर्ण डेटा के प्रवाह का विनियमन

प्रभावी रूप से, प्राधिकरण को नागरिकों, उद्योग और राज्य के बीच एक स्वतंत्र मध्यस्थ या पर्यवेक्षी प्राधिकरण के रूप में कार्य करने की आवश्यकता है। एक मध्यस्थ के रूप में अपनी विभिन्न प्रकार की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए यह प्राधिकरण एक क्षैतिज नियामक होगा जो सभी क्षेत्रों में डेटा के उपयोग का पर्यवेक्षण करेगा। इसे पहले से मौजूद, और भविष्य में बनने वाले, नियामकों के साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता होगी। यह देखते हुए कि भारत अल्पविकसित डेटा सुरक्षा नियमों से अधिक सूक्ष्म ढांचे की ओर जा रहा है, इस यात्रा में प्राधिकरण की भूमिका महत्वपूर्ण होगी।

प्रमुख पहलू और सिफारिशें

1. सदस्यों का चयन

एक चयन समिति को प्राधिकरण के सदस्यों की नियुक्ति का कार्य सौंपा गया है। समिति में एक कैबिनेट सचिव (जो समिति का अध्यक्ष होगा), कानूनी मामलों से निपटने वाले मंत्रालय या विभाग में सरकार का एक सचिव (जो कानून और न्याय मंत्रालय होगा), और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सरकार का एक सचिव शामिल है।। इस प्रकार, प्राधिकरण के

अध्यक्ष के लिए चयन समिति में केवल कार्यपालिका का प्रतिनिधित्व है। एक स्वतंत्र मध्यस्थ के रूप में प्राधिकरण की भूमिका, और भारत में व्यक्तिगत डेटा के सबसे बड़े संग्राहकों में से एक के रूप में कार्यरत सरकार को ध्यान में रखते हुए, यह अनिवार्य है कि प्राधिकरण के सदस्यों को निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त किया जाए। नियुक्ति की प्रक्रिया प्राधिकरण की कार्यात्मक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण है, इसलिए सरकार की भारी-भरकम भागीदारी प्राधिकरण के नियामक और न्यायनिर्णायक निकाय की स्वतंत्रता स्थापित करने में बाधा उत्पन्न कर सकती है।

सिफारिश: समिति की नियुक्ति की प्रक्रिया में सुधार करने के लिए, डायलॉग न्यायिक निरीक्षण या विपक्ष के सदस्य को प्राधिकरण के सदस्यों के चयन के लिए जिम्मेदार चयन समिति में शामिल करने की सिफारिश करता है। यह पहलू यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि एक सार्वजनिक संस्थान जैसे प्राधिकरण अनावृत और जवाबदेह और कार्यकारी हस्तक्षेप से बड़ी सीमा तक अछूता रहे।

2. प्राधिकरण की संरचना

विधेयक के अनुसार, प्राधिकरण में अध्यक्ष को छोड़कर, छह से ज़्यादा पूर्णकालिक सदस्य नहीं हो सकते। इन व्यक्तियों को "डेटा सुरक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, डेटा प्रबंधन, डेटा विज्ञान, डेटा संरक्षण, साइबर और इंटरनेट कानून, लोक प्रशासन, राष्ट्रीय सुरक्षा" के क्षेत्र में योग्य होना चाहिए, लेकिन विधेयक इनका कोई विवरण नहीं देता है। तकनीकी कार्यों की प्रकृति जैसे मानक निर्धारण/ नीति निर्माण और न्यायिक जिम्मेदारियों जैसे कि न्याय निर्णयन की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, समिति में तकनीकी और न्यायिक विशेषज्ञता की कमी के संबंध में चिंताएं हैं। यह जरूरी है कि प्राधिकरण के सदस्य अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए विधिवत रूप से योग्य हों।

सिफारिश: यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्राधिकरण अपने कार्यों को करने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित है, डायलॉग डेटा सुरक्षा प्राधिकरण के सदस्यों की तकनीकी और न्यायिक विशेषज्ञता को बढ़ाने की सिफारिश करता है। तकनीकी सदस्यों और नियमित सदस्यों के बीच अंतर किया जा सकता है जैसा कि अन्य नियामक निकायों (जैसे: भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण) में देखा गया है ताकि प्रभावी कामकाज को सुविधाजनक बनाने के लिए विशिष्ट क्षेत्रों में तकनीकी विशेषज्ञता वाले व्यक्तियों की नियुक्ति की जा सके। न्यायिक, गैर-न्यायिक, कार्यकारी और तकनीकी सदस्यों के संदर्भ में संतुलन बनाना भी अनिवार्य है।

3. प्रतिस्पर्धी हितों की संस्थाओं द्वारा सदस्यों की पुनर्नियुक्ति पर रोक का अभाव

निजी क्षेत्र या अन्य सार्वजनिक संस्थानों द्वारा प्राधिकरण के सदस्यों के पुनर्नियुक्ति पर रोक का अभाव है। एक स्वतंत्र मध्यस्थ के रूप में प्राधिकरण की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण के सदस्यों के निष्पक्ष और प्रभावी कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए, सदस्यों के पुनर्रोजगार पर शर्तें लगाना महत्वपूर्ण है। भारत में यह कई बार देखा गया है कि इस तरह की आवश्यकताएं निष्पक्ष नियामक बनाने की संभावना को बढ़ाती हैं, जैसा कि आईआरडीएआई और ट्राई जैसे प्राधिकरणों के नियामक ढांचे में देखा गया है।

<u>सिफारिशें</u>: स्वतंत्रता को बढ़ाने के लिए, डायलॉग की सिफारिश है कि यदि सदस्य संबद्ध क्षेत्रों या अन्य सार्वजनिक संस्थानों में और रोजगार चाहते हैं, तो इस तरह के रोजगार को मंजूरी देने के लिए अधिकृत सरकारी एजेंसियों से एक निर्धारित समय सीमा और अनुमोदन की आवश्यकता होनी चाहिए।

4. अत्यधिक बोझ और संस्थागत संरचना

प्राधिकरण को विभिन्न प्रकार के कार्यों और जिम्मेदारियों को सौंपा गया है; इसकी संरचना इसकी प्रभावशीलता और कार्यात्मक स्वतंत्रता तय करने में महत्वपूर्ण होगी। वर्तमान में, प्राधिकरण के संस्थागत संरचना के संबंध में विधेयक में स्पष्टता का अभाव है। विधेयक के अनुसार, प्राधिकरण को एक केंद्रीय (एकल) नियामक के रूप में परिकल्पित किया गया है, जो की कानूनी प्रावधानों और श्रेष्ठ प्रणालियों को लागु करेगा। हालांकि, भारत की जनसँख्या, आकार, विविधता, और बहुआयामी प्रकृति को देखते हुए, उक्त संरचना विधेयक की कल्पना को पूरा करने में अप्रभावी साबित हो सकती है।

<u>सिफारिशें:</u> डायलॉग सिफारिश करता है कि मूल कानून में प्राधिकरण की संस्थागत संरचना स्पष्ट रूप से निर्धारित की जाए। हम न्यायनिर्णयन और अनुपालन के लिए एक स्तरीय संरचना का सुझाव देते हैं जो भारत के संघीय ढांचे और अन्य मौजूदा नियामक प्रणालियाँ, जैसे की उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और कंपनी अधिनियम, से उधार ले सकती है।

5. प्राधिकरण तक जनता की पहुंच

एक अन्य चिंता प्राधिकरण तक जनता की पहुंच की है। चूंकि भारत में अत्यधिक विविधता है, इसलिए समाज के हर वर्ग के पास इस तरह के प्राधिकरण तक पहुंच होनी चाहिए। जैसे-जैसे भारत में इंटरनेट की पहुंच बढ़ती है, अधिक से अधिक नागरिक ऑनलाइन आ रहे हैं, अत नागरिक विभिन्न संस्थाओं द्वारा अपने व्यक्तिगत डेटा को संग्रह और प्रसंस्करण के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। प्राधिकरण को प्रत्येक जरूरतमंद नागरिक के लिए सुलभ होने का प्रयास करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जनता में उनके डेटा अधिकारों के बारे में जागरूकता फैले।

सिफारिशें: डायलॉग सिफारिश करता है कि प्राधिकरण अपनी सभी प्रणालियों में जनता की पहुंच बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहे। उसी के लिए, प्राधिकरण के साथ संवाद बहुभाषी, अधिक चित्रात्मक और कम पाठ-आधारित हो, और समग्र रूप से साक्षरता (और डिजिटल साक्षरता) पर कम निर्भर हो, ताकि आबादी का एक व्यापक वर्ग प्राधिकरण के साथ अपनी चिंताओं को साझा कर सके।

6. भू-राजनीतिक विचार

किसी भी राष्ट्र के डेटा अभिशासन मानदंड और ढांचे आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बातचीत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। डेटा गोपनीयता संबंधी चिंताएं दुनिया भर में व्यापार संबंधी वार्ताओं का एक महत्वपूर्ण पहलू हैं, जिसमें देश अपने नागरिकों के डेटा की सुरक्षा की मांग करते हैं क्योंकि यह सीमाओं के पार जाता है। उदाहरण के लिए, यूरोपीय संघ के जीडीपीआर के अनुच्छेद 45(2)(बी) के अनुसार पर्याप्तता परीक्षण उत्तीर्ण करने के लिए एक देश के लिए स्वतंत्र डेटा सुरक्षा प्राधिकरण का अस्तित्व और उसका कार्यवाहक होना जरूरी है। यह देखा जा रहा है की डेटा सुरक्षा प्राधिकरण सीमाओं के पार डेटा साझा करने और इसे करने के तरीके को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

भारत के लिए समान स्तर पर बातचीत करने और स्वयं को प्रौद्योगिकी में निवेश के लिए एक आकर्षक गंतव्य के रूप में पेश करने के लिए, यह अनिवार्य है कि हम एक मजबूत डेटा सुरक्षा प्राधिकरण तैयार करें। डेटा के लिए एक अलग और स्वतंत्र नियामक ऐसे किसी भी ढांचे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसके अभाव में भारत को वैश्विक स्तर पर कमी खल सकती है।

पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय द्वारा देखे जाने वाले शीर्ष 10 थिंक टैंकों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है।

21वीं सदी में तेजी से तकनीकी प्रगति के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली अनूठी समस्याओं को हल करने के लिए 'डायलॉग' भारत में सुसंगत सार्वजनिक नीति प्रवचन बनाता है। 'डायलॉग' का मिशन लोगों के लिए नीति लाना है और बाद में उन्हें उन मुद्दों से जोड़ना है जो आज की दुनिया में वास्तव में महत्वपूर्ण हैं, जिसमें सूचित जनमत और नागरिक भागीदारी के माध्यम से सुधारों को चलाने का दीर्घकालिक उद्देश्य है।

The Dialogue™
INFORM ENGAGE IDEATE

अधिक जानने के लिए
www.thedialogue.co पर जाएं,
या मेल करें info@thedialogue.co